झांरखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com

पत्रांक– जे.सी.ई.टी./वि. 04–20/2024 ....973 राँची, दिनांक....15/07/2024

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा०प्र०से०
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी.।

सेवा,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–
सह– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

**विषय–** **प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग के विभिन्न प्रकार के निदेश आदेश आदि का प्रखंड संसाधन केन्द्र स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है।

उक्त संबंध में निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रखण्ड संसाधन केन्द्र स्तर पर किए जाने वाले कार्यों/ क्रियाकलापों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), इस पत्र के साथ संलग्न कर किया जाता है।
**अनुलग्नक : यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह0/–

(आदित्य रंजन)
निदेशक
जे.सी.ई.आर.टी.

ज्ञापांक– जे.सी.ई.टी./वि. 04–20/2024.....973 राँची, दिनांक.15/07/2024
प्रतिलिपिः प्रभारी सचिव,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ निदेशक माध्यहह्न भोजन प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा/ सभी अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा/ सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.07

(आदित्य रंजन)
निदेशक
जे.सी.ई.आर.टी.

Scanned with OKEN Scanner

# प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का भौतिक संरचना एवं सुविधाएं

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र भवन की मरम्मति करा कर रंग–रोगन एवं परिसर में फूल–पौधा लगाकर आकर्षक बनाना।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र के नियंत्राधीन प्रखण्ड मुख्यालय में एक सुरक्षित मध्याहन भोजन योजना का खाद्यान्न भण्डार की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में आने वाले शिक्षक/आगन्तुक के बैठने की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में पुरूष एवं महिला के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था करते हुए उसे साफ–सुथरा रखना।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र में जिला एवं अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाले पुस्तक सहित अन्य सामग्री को वितरण के पूर्व संरक्षित रखने के लिए स्टोर की व्यवस्था करना।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र में पर्याप्त एवं निरंतर पानी की व्यवस्था के लिए बोरिंग एवं पानी टंकी के साथ रंनिग वाटर की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों के बैठने के साथ उनके प्रकोष्ठ में नेम–प्लेट आदि की व्यवस्था करना।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र में हॉल, स्टोर रूम सहित पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रकोष्ठ में आवश्यकतानुसार उपस्कर एवं अन्य उपयोगी सामग्री की व्यवस्था करना।
- प्रखंड संसाधन केन्द्र में लेखापाल, MIS Coordinator सहित सभी पदाधिकारी/कर्मी के लिए कम्प्यूटर आदि एवं इंटर नेट कनेक्टीविटी की व्यवस्था रखना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में बिजली की व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त क्षमता युक्त जेनरेटर की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में सूचना पट्ट एवं फ्लैक्स बैनर में जिले/प्रखण्ड के मुख्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं दैनिक कार्यक्रमों का सूचना पट्ट पर अंकन की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र की दीवारों में पर्याप्त, अनुकूल एवं आकर्षक श्लोगन लेखन – विशेष कर स्वच्छ्ता, प्रयास–सह–Project Impact, RAIL, SMC Monthly Meeting इत्यादि का।

## प्रखंड संसाधन स्तर का कार्य

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों का उपस्थिति (Bio-matric/हार्ड प्रति) बनाने की व्यवस्था करना।

973
15/04/2024



Scanned with OKEN Scanner

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों के औपचारिक अवकाश में रहने की तिथि के पूर्व ही उनके स्थान पर कार्य करने की वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों के बीच कार्य आवंटन सुनिश्चित करना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में विभाग/प्रशासन से प्राप्त सामग्रियों का प्राप्त पंजी एवं वितरण पंजी में संधारण ताकि वितरण उपरांत सामग्री अवितरित बी.आर.सी. में पड़ा नहीं रहे।
- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यालयों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु अपना अग्रिम मासिक यात्रा विवरणी जिला शिक्षा अधीक्षक को देंगे एवं निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- शिक्षकों का Evv में दैनिक उपस्थिति की समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे एवं प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक को देंगे।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में कार्यरत BPO/BPM/JE/BRP/Data Entry Oprator /Computer Operator सह-लेखापाल CWSN Staff आदि के कार्यों की समीक्षा 15 दिनों की अंतराल में BEEO एवं BPO करेंगें।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं निर्गत पत्रों की पंजी का संधारण की व्यवस्था करना।
- प्रखण्ड में कार्यरत बी.आर.पी./सी.आर.पी विद्यालय कार्य दिवस को निर्धारित विद्यालयों का स्थलीय भ्रमण कर अनुश्रवण करेंगे, BEEO एवं BPO जिसकी साप्ताहिक समीक्षा कर जिला को प्रतिवेदित करेंगे।
- प्रखण्ड कनीय अभियंता द्वारा प्रखण्ड के विद्यालयों में नया भवन का निर्माण, जर्जर भवन की मरम्मति, शौचालय की व्यवस्था, बैंच डेस्क आदि का स्थलीय आंकलन कर प्रस्ताव BEEO एवं BPO को दिया जाएगा।
- विभिन्न बोर्ड (JAC/CBSE) में प्रखण्ड में अध्ययनरत छात्र-छात्रा कक्षा (VIII, IX, X, XI एवं XII) की परीक्षा फॉर्म शत-प्रतिशत भरने की समीक्षा BEEO एवं BPO कर DEO को प्रतिवेदित करेंगे।
- विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या शत-प्रतिशत खुलने की व्यवस्था BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे एवं इसका मासिक प्रतिवेदन DSE/DEO को देंगे।

973
15/04/2024



Scanned with OKEN Scanner

- प्रखण्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को खेल-कूद में रूचि बनी रहे इसके लिए विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का उपयोग एवं विभिन्न खेलों में विद्यालयों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को एक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए BEEO एवं BPO निरंतर प्रयास करते हुए BRC को संसाधन सम्पन्न बनायेंगे।
- राष्ट्रीय महत्व के कार्य यथा - चुनाव, जनगणना, आर्थिक गणना आकस्मिक आपदा आदि में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी/कर्मी सहित प्रखण्ड के शिक्षकों को दायित्व निर्वहन की प्रेरणा देना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव निर्धारित समय में जमीनी स्तर पर तैयार कर जिला को उपलब्ध कराना।
- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र/सी.आर.सी/विद्यालय स्तर पर प्राप्त राशि का बिल के अभिश्रव को भलि-भाँति प्रखण्ड स्तर पर लेखापाल द्वारा संधारण की व्यवस्था कराना।
- राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्रम में BEEO एवं BPO को विभिन्न स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठकों में प्रतिवेदन/PPT के साथ भाग लेकर विभाग का पक्ष रखने का अनुपालन करना।
- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी मासिक गुरूगोष्ठी माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करेंगे, जिसमें वे राज्य से निर्गत गुरूगोष्ठी के SOP का अनुपालन करेंगे।
- माह के तीसरे शनिवार को बी.आर.सी. में शिक्षकों की सेवा संबंधी के कार्य के लिए BEEO एवं BPO उपस्थित रह कर उनकी सेवा संबंधी कार्य का निष्पादन करेंगे। जब तक BEEO कार्यालय में निष्पादन के लिए उपस्थित नहीं हो पाते है तब तक BPO वैसे कार्यों को संग्रहित करेंगे ताकि BEEO को कार्य निष्पादन में सुविधा हो।

## विद्यालय स्तर के कार्य का अनुश्रवण

- प्रयास-सह-Project Impact NEP के कार्यक्रमों की गतिविधियों की मासिक समीक्षा गुरूगोष्ठी में BEEO एवं BPO करेंगे।
- विद्यालयों के द्वारा विभिन्न आवधिक परीक्षा RAIL, SA-1, SA-2 सहित विभिन्न छात्रवृति की परीक्षा यथा जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा, राष्ट्रीय मेघा-छात्रवृत्ति परीक्षा, सी.एम. छात्रवृति परीक्षा, आकांक्षा की परीक्षा आदि में अधिक-से-अधिक छात्र भाग ले को BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।

943
15/07/2024



Scanned with OKEN Scanner

- एक निश्चित अन्तराल में विद्यालयों के द्वारा **No Cost, Low Cost – Self Evaluation Form** को भरा जायेगा ताकि विद्यालय में **No Cost, Low Cost** – के प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कर विद्यालयों को आकर्षक बनाया जा सके, की समीक्षा BEEO एवं BPO गुरूगोष्ठी में करेंगे।
- प्रत्येक विद्यालयों में निर्धारित तिथि को पी.टी.एम. / एस.एम.सी. की बैठक विद्यालयों में किया जायेगा जिसकी समीक्षा प्रखण्ड स्तर से किया जाएगा।
- विद्यालयों में विभिन्न गठित क्लब, हाउस एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन/ पुनर्गठन आवश्यकतानुसार किया जायेगा जिसकी समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे।
- विद्यालयों में साइंस लैब, सोशल साइंस लैब, स्मार्ट क्लास आदि के कार्यान्वयन एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा गुरूगोष्ठी में BEEO एवं BPO करेंगे।
- विभिन्न विद्यालयों में जहाँ व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, की समीक्षा गुरूगोष्ठी में BEEO एवं BPO करेंगे।
- विद्यालयों के शिक्षक अध्यापन के पूर्व अपना पाठ–योजना लिखेंगे जिसकी प्रतिदिन पुष्टि विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक करेंगे एवं प्रखण्ड स्तर पर इसकी समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे।
- विद्यालय स्तर पर वर्ष में दो बार शिशु गणना किया जाएगा, इस गणना में प्रत्येक विद्यालय अपने पोषक क्षेत्र के टोलों को टैग करेंगे, जिसकी समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे एवं प्रतिवेदन DSE/DEO को देंगे।
- प्रत्येक विद्यालय अपने पोषक क्षेत्र के शत–प्रतिशत बच्चों का नामांकन करेंगे, जो नए सत्र में शिशु गणना उपरांत विद्यालय से बाहर रह गए थे, जिसकी समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे एवं प्रतिवेदन DSE/DEO को देंगे।
- वर्ग प्रोन्नति (Trasition) शत–प्रतिशत प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा यथा कक्षा 05 से 06 में कक्षा 08 से 09 में, कक्षा 10 से 11 में एवं आंगनबाड़ी केन्द्र/ बालवाटिका में 06 वर्ष की आयु पुरी करने वाले बच्चों का कक्षा 01 में नामांकन शत–प्रतिशत करना, जिसकी समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे एवं प्रतिवेदन DSE/DEO को देंगे।
- निर्धारित अवधि में शैक्षणिक–सत्र के बीच में रूआर कार्यक्रम का कार्यन्वयन विद्यालयों में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था BEEO एवं BPO करेंगे ताकि नामांकन उपरांत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को विद्यालय में पुनः जोड़ा जा सके।
- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितम्बर की तिथि अनुसार U-dise प्रत्येक विद्यालय द्वारा भरवाना BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।

973
15/07/2024



Scanned with OKEN Scanner

## MDM (मध्याह्न भोजन योजना कोषांग का गठन एवं दायित्व)

प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक दिन MDM संचालन संबंधी SMS करेंगे, जिसे BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।

- प्रत्येक विद्यालय को खाद्यान्न/कुकिंग कॉस्ट प्राप्ति तिथि को ही उक्त प्राप्ति के संबंध में SMS करना है, जिसे BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक सप्ताह के निर्धारित दिन को विद्यालय में खाद्यान्न/कुकिंग कॉस्ट के साप्ताहिक अवशेष के लिए विद्यालय को SMS करना है, जिसे BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।
- माध्याह्न भोजन के प्रखण्ड खाद्यान्न गोदाम की मासिक समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे।
- मासिक माध्याह्न भोजन योजना की प्रखण्ड कार्यकारिणी की बैठक कराना BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।

## समावेशी शिक्षा

- प्रखण्ड के दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण कराना BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।
- दिव्यांग बच्चों की सर्वेक्षण की सूची से जिला के सहयोग से उनका चिकित्सीय जाँच कराना BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।
- चिकित्सीय जाँच में योग्य पाए गए दिव्यांग बच्चों को मुफ्त कीट/सामग्री की आपूर्ति, जिला के सहयोग से BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।
- दिव्यांग बच्चों का, समावेशी शिक्षक द्वारा अध्यापन की व्यवस्था की समीक्षा BEEO एवं BPO करेंगे।
- दिव्यांग बच्चे जो बिलकुल विद्यालय जाने से असमर्थ है के लिए गृह आधारित शिक्षण व्यवस्था समावेशी शिक्षक के द्वारा करना, की समीक्षा BEEO एवं BPO सुनिश्चित करेंगे।

अन्य कार्य जिसका उल्लेख SOP में नहीं किया गया है एवं विभागीय निदेश प्राप्त है के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वयन कराया जायेगा।

निदेशक

जे.सी.ई.आर.टी., राँची

973
15/07/2024



Scanned with OKEN Scanner